बजट 2010-2011 की मुख्य विशेषताएं

चुनौतियां

- यथाशीघ्र विकास पथ पर वापस आकर सकल घरेलू उत्पाद को 9 प्रतिशत करना और तब 'द्वि अंकीय विकास बाधा' पार करने के लिए साधनों का पता लगाना।
- अधिकाधिक समावेशी विकास करने के लिए हालिया उपलब्धियों को समेकित करने के लिए आर्थिक विकास बढ़ाना।
- अभिशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्रों, ढांचाओं और संस्थाओं में कमजोरियों का समाधान करना।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

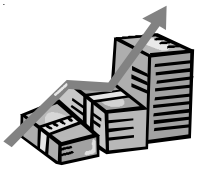

- भारत विश्व के प्रथम देशों में एक है जो वैश्विक अवमन्दन के नकारात्मक निक्षेप का सामना करने के लिए व्यापक आधारिक प्रति चक्रीय नीतिगत पैकेज का क्रियान्वयन कर रहा है।
- वर्ष 2009-10 के लिए सकल घरेलू उत्पाद विकास का अग्रिम अनुमान 7.2 प्रतिशत था। अंतिम आंकड़ा अधिक होने की संभावना है, जब 2009-10 के लिए तीसरी और चौथी तिमाही स.घ.उ. अनुमान उपलब्ध होंगे।

- दिसंबर, 2009 में विनिर्माण सैक्टर में वृद्धि दर 18.5 प्रतिशत, यहा विगत दो दशकों में सबसे अधिक है।
- 2009-10 की दूसरी छमाही के दौरान मुख्य चिन्ता द्वि अंकीय खाद्य मुद्रास्फीति का प्रादुर्भाव रहा है। सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्रणा करके आदेशात्मक कदम उठाए हैं जिससे आगामी कुछ महीनों में मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि देश में खाद्य सुरक्षा का बेहतर प्रबंधन है।

विकास समेकन

राजकोषीय समेकन

- सुधार के जड़ जमाने के साथ-साथ सरकारी व्यय की समीक्षा करने, संसाधन जुटाने और उन्हें अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संचालित करने की आवश्यकता है।
- तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजकोषीय नीति बनाई गई है। जिसने, विगत दो वर्षों की विस्तारकारी राजकोषीय स्थिति से अंशाकित निकास कार्यनीति की सिफारिश की है।

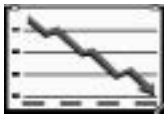

- यह पहली बार होगा कि सरकार अपनी घरेलू सरकारी ऋण स.घ.उ. अनुपात में सुस्पष्ट कटौती का लक्ष्य रखेगी।

कर सुधार

- प्रत्यक्ष कर संहिता के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जा चुका है। सरकार 1 अप्रैल, 2011 से प्रत्यक्ष कर संहिता को लागू करने की स्थिति में होगी।
- केन्द्र वस्तु एवं सेवा कर की संरचना तथा इसके शीघ्र कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति के साथ सक्रियतापूर्वक जुटा है। अप्रैल, 2011 में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों का लोक स्वामित्व

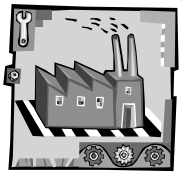

- आइल इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी, एनटीपीसी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में स्वामित्व को व्यापक आधार प्रदान किया गया है जबकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और सतलुज जल विद्युत निगम में यह प्रक्रिया चल रही है। यह मौजूदा वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जुटाएगी।
- 2010-11 के दौरान इससे अधिक राशि जुटाने का प्रस्ताव है।

उर्वरक सब्सिडी

- सरकार द्वारा उर्वरक सेक्टर के लिए एक पोषण आधारित सब्सिडी नीति मंजूर की गई है और यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होगी।
- इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। इस नीति के लागू होने से सब्सिडी बिल में कमी होने के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की मांग की अस्थिरता में कमी आएगी।

पेट्रोलियम और डीजल मूल्य निर्धारण नीति

- पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य तथा टिकाऊ प्रणाली पर सरकार को सलाह देने के लिए विशेषज्ञ समूह ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।
- इन सिफारिशों पर निर्णय यथा समय लिया जाएगा।

निवेश माहौल में सुधार

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- एफडीआई व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।
- भारतीय कम्पनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आकलन की पद्धति को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया।
- मूल्य निर्धारण और प्रौद्योगिकी अन्तरण शुल्क तथा ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम का भुगतान एवं रॉयल्टी भुगतानों का पूर्णतः उदारीकरण।

वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद

- वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा सांस्थानिक रूप देने की दृष्टि से, एक शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की स्थापना की जाएगी।
- यह परिषद बड़े पैमाने पर वित्तीय एकीकरण की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहद् विवेकसम्मत पर्यवेक्षण को मॉनीटर करेगी और अन्तर-विनियामक समन्वय सम्बन्धी मुद्दों का समाधान करेगी।

बैंकिंग लाइसेंस

- भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस देने पर विचार कर रहा है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे भारतीय रिजर्व बैंक के पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करें।

पब्लिक सेक्टर बैंकों का पूंजीकरण

- 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक 31 मार्च, 2011 तक न्यूनतम 8 प्रतिशत टियर-I कैपिटल प्राप्त कर सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनः पूंजीकरण

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने हेतु और पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनके पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वर्धित ऋण प्रदान करने हेतु पर्याप्त पूंजी आधार हो।

कारपोरेट गवर्नेंस

- सरकार ने संसद में कम्पनी विधेयक, 2009 प्रस्तुत किया था। यह मौजूदा कम्पनी अधिनियम, 1956 का स्थान लेगा। यह प्रस्तावित नया विधेयक बदलते कारोबारी माहौल के परिप्रेक्ष्य में कारपोरेट क्षेत्र में विनियम से सम्बद्ध मुद्दों का समाधान करेगा।

निर्यात

- निर्यात पर 2 प्रतिशत की मौजूदा ब्याज आर्थिक सहायता को एक वर्ष और बढ़ाया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा तथा लघु और मध्यम उद्यम शामिल हैं।

कृषि विकास

- सरकार *चतुर्थ स्तरीय कार्ययोजना* का अनुसरण करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

(क) कृषि उत्पादन

- देश के पूर्वी क्षेत्रों जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा शामिल हैं, में हरित क्रान्ति के लिए 400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जा रहा है,
- वर्षापोषित क्षेत्रों में 60,000 "दलहन और तेल बीज ग्रामों" की स्थापना करने और जल संचयन, जल संभर प्रबन्धन तथा मृदा स्थिति के लिए एकीकृत तंत्र की व्यवस्था करने के लिए 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- संरक्षित कृषि जिसमें मृदा स्थिति, जल संरक्षण तथा जैव-विविधता के परिरक्षण में एक साथ ध्यान देना शामिल है, के माध्यम से हरित क्रान्ति वाले क्षेत्रों में पहले से प्राप्त लाभों को कायम रखने के लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ख) उत्पाद की बर्बादी में कमी

- सरकार खुदरा व्यापार को खोलने की समस्या का समाधान करेगी। खेत स्तरीय, थोक तथा खुदरा मूल्यों के बीच व्याप्त अधिक अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।

- भण्डारण क्षमता में यह घाटा निजी क्षेत्र की भागीदारी से मौजूदा योजना के जरिए पूरा किया जाएगा जहां भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों से 5 वर्ष की गारंटी अवधि हेतु गोदाम किराए पर लेता रहा है। इस अवधि को अब बढ़ाकर 7 वर्ष किया जा रहा है।

(ग) किसानों को ऋण सहायता

- बैंक पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को लगातार पूरा करते रहे हैं और वर्ष 2010-11 हेतु यह लक्ष्य 3,75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
- देश के कुछ राज्यों में हाल ही के सूखे तथा कुछ अन्य हिस्सों में आई भयंकर बाढ़ को देखते हुए, किसानों द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी करने की अवधि किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2009 से 30 जून, 2010 तक 6 माह के लिए बढ़ायी गयी।

- उन किसानों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता का प्रोत्साहन जो अल्पावधिक फसल ऋण समय पर अदा करते हैं, बढ़ाकर 2010-11 में 2 प्रतिशत किया गया है।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को महत्व

- पहले स्थापित की जा रही दस मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के अतिरिक्त, सरकार द्वारा पांच और ऐसी पार्क परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय।
- फार्म स्तर प्री-कूलिंग, कृषि एवं संबद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों एवं मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण सहित शीत भण्डारण अथवा शीत सुविधा के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार उपलब्ध होगा।

आधारभूत संरचना

- आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1,73,552 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए, जो कुल आयोजना आबंटनों का 46 प्रतिशत से अधिक है।
- सड़क परिवहन के लिए आबंटन 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 17,520 करोड़ रुपए से 19,894 करोड़ रुपए किया गया।
- रेलवे के लिए 16,752 करोड़ रुपए की व्यवस्था, यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 950 करोड़ रुपए अधिक है।

भारत आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

- भारत आधारभूत संरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड के संवितरण मार्च, 2010 की समाप्ति तक 9,000 करोड़ रुपए और मार्च 2011 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए होने की संभावना।
- आईआईएफसीएल ने मौजूदा वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पुनर्वित्त-पोषित किया तथा 2010-11 में इस राशि के दुगुना से अधिक हो जाने की आशा।
- पिछले बजट में घोषित वित्त पोषण योजना से अगले तीन वर्षों में, प्रारंभ में, लगभग 25,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने की संभावना।

ऊर्जा

- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सिवाय, विद्युत क्षेत्र के लिए आयोजना आबंटन 2009-10 में किए गए 2230 करोड़ रुपए से दुगुना करके 2010-11 में 5,130 करोड़ रुपए किया गया।
- सरकार अधिक पारदर्शिता और प्रखण्डों से उत्पादन में वर्धित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, कैप्टिव माइनिंग के लिए कोयला प्रखण्ड आबंटित करने के संबंध में एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरु करने का प्रस्ताव करती है।
- कोयला क्षेत्र में एक समान प्लेयिंग फील्ड सृजित करने हेतु एक "कोयला विनियामक प्राधिकरण" गठित किए जाने का प्रस्ताव है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 2009-10 में किए गए 620 करोड़ रुपए से 61 प्रतिशत बढ़ाकर 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए किया गया।
- लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत वाली ऊर्जा, लघु जल और माइक्रो विद्युत परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थापित की जाएंगी।

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन

- स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवोन्मेष परियोजनाओं के निधि पोषण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छता ऊर्जा निधि की स्थापना।
- तमिलनाडु सरकार को तिरुपुर में निटवियर उद्योग को बनाए रखने के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली के स्थापन की लागत हेतु एक बारगी 200 करोड़ रुपये का अनुदान।

- समुद्री बीचों और फारेस्ट कवर सहित राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के लिए गोवा को विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज के बतौर 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण (एनजीआरबीए) के लिए आवंटन 2010-11 में दुगना कर 500 करोड़ रुपये करना।

- पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नाडिया जिले के कुछ भागों में भागीरथी नदी और गंगा-पद्मा नदी के तटबंध संरक्षण निर्माण कार्य योजनाएं केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल करना।
- पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक पतन सुविधा सागर द्वीप में एक परियोजना विकसित करना।

समावेशी विकास

- सामाजिक क्षेत्र पर खर्च कुल आयोजना व्यय क्रमिक रूप से बढ़ाकर 1,37,674 करोड़ रुपए करना जो 2010-11 में कुल आयोजना परिव्यय का 37 प्रतिशत है।
- आयोजना आवंटनों के अन्य 25 प्रतिशत ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए समर्पित है।

शिक्षा

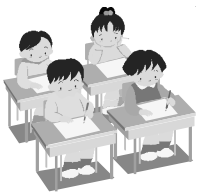

- स्कूली शिक्षा के लिए आयोजना आवंटन 2009-10 में 26,800 करोड़ रुपये से 16 प्रतिशत बढ़ाकर 2010-11 में 31,036 करोड़ रुपये करना।
- इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों के तहत 2010-11 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्यों को 3,675 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

स्वास्थ्य

- सभी जिलों की जिला स्वास्थ्य रूपरेखा तैयार करने हेतु एक वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010-11 में करना।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हेतु आयोजना आवंटन 2009-10 में 19,534 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2010-11 में 22,300 करोड़ रुपये करना।

वित्तीय समावेशन

- 2000 से अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों में मार्च 2012 तक समुचित बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना।
- कारोबार संपर्क माडल का प्रयोग करते हुए बीमा और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इस व्यवस्था में 60,000 बस्तियों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा अंशदान किया जाएगा।

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास के लिए 66,100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपये करना।
- भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना कार्यक्रम के लिए 48,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत यूनिट लागत बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 48,500 रुपये की गई है। इस योजना के लिए किया गया आवंटन बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करना।
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को किए जाने वाले आवंटन में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके इसे 2009-10 में 5,800 करोड़ रुपये से 2010-11 में 7,300 करोड़ रुपये करना।
- बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखे से निपटने के लिए 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मुहैया कराना।

शहरी विकास और आवास

- शहरी विकास के लिए आवंटन में 75 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी करके इसे 3,060 करोड़ रुपये से 2010-11 में 5,400 करोड़ रुपये करना।
- आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए आवंटन बढ़ाकर 850 करोड़ रुपये से 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपये करना।
- पिछले बजट में घोषित - 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण जिसमें मकान की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो, पर 1 प्रतिशत ब्याज सहायता देने की स्कीम 31 मार्च, 2011 तक बढ़ा दी गई है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2010-11 हेतु 700 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना।
- *राजीव आवास योजना* के लिए पिछले वर्ष के 150 करोड़ रुपए के मुकाबले 1,270 करोड़ रुपये का आवंटन करना।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम

- उच्च स्तरीय कार्यबल की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों संबंधी उच्च स्तरीय परिषद का गठन करना।
- इस क्षेत्र के लिए 1,794 करोड़ रुपये के आवंटन में बढ़ोतरी करके वर्ष 2010-11 के लिए इसे 2400 करोड़ रुपये करना।
- सूक्ष्म-वित्त विकास और इक्विटी निधि की मूलनिधि दुगुना करके 2010-11 में 400 करोड़ रुपये करना।

असंगठित क्षेत्र

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि।

- 1000 करोड़ रुपये के आरंभिक आवंटन के साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि से बुनकरों, ताड़ी बनाने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी बनाने वाले कामगारों आदि के लिए चलाई जा रही स्कीमों को मदद मिलेगी।

- *राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना* के लाभ उन सभी महात्मा गांधी नरेगा के लाभार्थियों जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 15 दिनों से अधिक कार्य किया हों, को भी मिलेंगे।

- वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए 1,000 रुपए का न्यूनतम और 12,000 रुपए प्रतिवर्ष का अंशदान की एक नई योजना *"स्वावलम्बन"* उपलब्ध होगी। इस योजना में सरकार 2010-11 में खोले गए प्रत्येक एनपीएस खाते के लिए 1,000 रुपए प्रति वर्ष का अंशदान करेगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन करना।

दक्षता विकास

- राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम ने एक लाख प्रति वर्ष की दर से 10 लाख कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए 45 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।
- कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा संस्थाओं और उपकरणों की क्षमता बढ़ाकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में व्यापक दक्षता विकास कार्यक्रम शुरू करके 5 वर्ष के दौरान 30 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण।

सामाजिक कल्याण

- महिला और बाल विकास के लिए आयोजना परिव्यय में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

- किशोरियों के लिए राजीव गांधी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आईसीडीएस के दायरे का विस्तार।
- महिला साक्षरता दर में और सुधार लाने के लिए *"साक्षर भारत"* नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसमें 6 करोड़ महिलाओं सहित 7 करोड़ निरक्षर वयस्कों का लक्ष्य।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप संघटक के रूप में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ महिला कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए *महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना* आरंभ की गई।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 80 प्रतिशत बढ़ाकर 4500 करोड़ रुपए किया गया। इस बढ़ोतरी के साथ मंत्रालय अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति स्कीमों के तहत छात्रवृति को दरों में संशोधन करना।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आयोजना आवंटन वर्ष 2010-11 के लिए 50 प्रतिशत बढ़ाकर 1,740 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,600 करोड़ रुपये करना।

पारदर्शिता और सरकारी जवाबदेहिता का सुदृढ़ीकरण

- वित्तीय सेक्टर कानूनों को दोबारा लिखने तथा स्पष्ट करने के लिए उन्हें इस सेक्टर की अपेक्षाओं की तर्ज पर लाने के लिए वित्तीय सेक्टर विधायी सुधार आयोग की स्थापना करना।
- भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण को 2010-11 के लिए 1,900 करोड़ रुपए आवंटित, प्राधिकरण आगामी वर्ष में अनन्य पहचान संख्याओं का पहला सैट जारी करने की अपनी वचनबद्धताएं पूरी करने में समर्थ होगा।
- प्रभावी कर प्रशासन और वित्तीय प्रशासन हेतु और विभिन्न प्रौद्योगिकीय और प्रणाली विषयक मामलों की जांच करने के लिए एक अनन्य परियोजना प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह की स्थापना।
- फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना।

सुरक्षा और न्याय

- रक्षा हेतु आवंटन बढ़ाकर 1,47,344 करोड़ रुपए करना जिसमें पूंजी व्यय के लिए 60,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।
- वर्ष 2010 में जम्मू-कश्मीर के 2000 युवकों की पांच केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के रूप में भर्ती करना।
- योजना आयोग वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 33 जिलों में एक एकीकृत कार्य योजना तैयार करना। कार्य योजना में सहायता के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
- सरकार ने न्याय देने और कानून सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना को अनुमोदित किया है ताकि न्यायालयों में लम्बित कानूनी मामलों की दर कम करके इसे मौजूदा 15 वर्ष की औसत दर से 2012 तक 3 वर्ष करने में मदद मिल सके।

बजट अनुमान 2010-2011

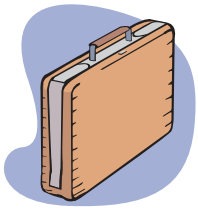

- सकल कर प्राप्तियां 7,46,651 करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
- कर राजस्व-भिन्न प्राप्तियां 1,48,118 करोड़ रुपये होने का अनुमान हैं।
- 2010-11 में केंद्र को प्राप्त निवल कर राजस्व के साथ-साथ व्यय के प्रावधान का तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुमान लगाया गया है।
- बजट अनुमानों में प्रस्तावित कुल व्यय 11,08,749 करोड़ रुपये हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि है।
- आयोजना तथा आयोजना भिन्न व्यय ब.अ. 2010-11 में क्रमशः 3,73,092 करोड़ रुपये और 7,35,657 करोड़ रुपये अनुमानित है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि आयोजना-भिन्न व्यय में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

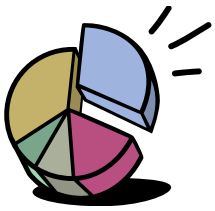

- ब.अ. 2010-11 के लिए राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 5.5 प्रतिशत है, जो 3,81,408 करोड़ रुपये बैठता है।
- राजकोषीय घाटे के लिए विभिन्न अन्य वित्तपोषण की मदों को देखते हुए 2010-11 में सरकार का वास्तविक निवल बाजार उधार 3,45,010 करोड़ रुपये होगा। इससे निजी क्षेत्र की ऋण संबंधित जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहेगी।
- राजकोषीय घाटे के लिए भावी लक्ष्य 2011-12 और 2012-13 हेतु क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत हैं।
- 2008-09 में 7.8 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा जिसमें तेल और उर्वरक बांड शामिल हैं, के मुकाबले 2009-10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6.9 प्रतिशत है।
- तेल और ऊर्वरक कंपनियों को बांड जारी करने से बचने के लिए सचेत प्रयास किया गया है। सरकार सरकारी सब्सिडी नकद में देने की यह परिपाटी जारी रखना चाहेगी जिससे सब्सिडी से संबंधित सभी देनदारियां सरकार के वित्तीय लेखांकन के तहत आ जाएंगी।

भाग ख कर प्रस्ताव

- बंगलूरू में केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र अब पूरी तरह कार्यशील है और यह प्रतिदिन लगभग 20,000 विवरणियों पर कार्रवाई कर रहा है। इस अभिक्रम को वर्ष के दौरान और दो केन्द्रों की स्थापना करके आगे बढ़ाया जाएगा।

- आय कर विभाग ने पुणे, कोची और चंडीगढ़ में आय कर सेवा केन्द्रों के माध्यम से *"सेवोत्तम"* की शुरूआत की है। यह सभी आवेदनों के पंजीकरण के लिए एकल विन्डो प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें शिकायत निवारण तथा कागजी विवरणियां भी शामिल हैं। इस वर्ष यह योजना चार और शहरों में कार्यान्वित की जाएगी।

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचलन इस वर्ष, देशभर में, पहले से ही प्रचलित हो गया है। इसी प्रकार, राज्यों में वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण के लिए हाल ही में एक मिशन मोड परियोजना अनुमोदित की गई है। 1133 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्र का हिस्सा 800 करोड़ रुपये है, जिससे इस परियोजना से वस्तु एवं सेवा कर शुरू करने की आधारशिला रखी जाएगी।

- व्यष्टि वेतनभोगी करदाताओं के लिए आगामी मूल्यांकन वर्ष हेतु आयकर विभाग सरल-II प्रपत्र अधिसूचित करेगा।

- उन मामलों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना जिन्हें समझौता आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ताकि निर्धारण के लिए लम्बित तलाशी और जब्ती के मामलों से संबंधित कार्यवाहियां शामिल की जा सकें। केंद्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क के संबंध में समझौता आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाना ताकि उसके क्षेत्राधिकार की परिधि के बाहर के कतिपय प्रकार के मामले शामिल किए जा सकें।

- बैंक से संबंधित और अन्य सूचना का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है ताकि विदेश में रहने वाले अनिवासियों की कर-वंचना का कारगर तरीके से पता लगाया जा सके और अप्रकटित आस्तियों की पहचान की जा सके।

प्रत्यक्ष कर

- व्यष्टि करदाताओं के लिए आयकर स्लैब निम्नानुसार होंगे:

1.6 लाख रुपये तक आय	शून्य
1.6 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक आय	10 प्रतिशत
5 लाख रुपये से अधिक और 8 लाख रुपये तक आय	20 प्रतिशत
8 लाख रुपये से अधिक आय	30 प्रतिशत

- केंद्र सरकार द्वारा यथाअधिसूचित दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों में निवेश करने के लिए 1 लाख रुपये की मौजूदा सीमा के अतिरिक्त 20,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की कटौती करने की अनुमति।

- स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जिनके लिए इस समय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती की अनुमति है, में अंशदान करने के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान करने के लिए भी कटौती के रूप में अनुमति।

- घरेलू कंपनियों पर मौजूदा अधिभार 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत करना।

- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) बही लाभों के 15 प्रतिशत की वर्तमान दर से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करना।

- आंतरिक अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय पर भारित कटौती बढ़ाकर 150 प्रतिशत से 200 प्रतिशत किया जा रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संघों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को किए गए भुगतानों पर भारित कटौती 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 175 की जा रही है।

- समाज विज्ञानों में अनुसंधान अथवा सांख्यिकीय अनुसंधान में लगे अनुमोदित संघों को किए गए भुगतानों को 125 प्रतिशत की भारित कटौती की अनुमति दी जा रही है। ऐसे अनुमोदित अनुसंधान संघों की आय कर मुक्त होगी।

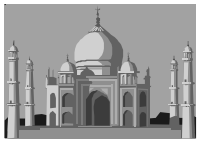

- पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत में दो स्टार अथवा उससे अधिक के श्रेणी वाले नए होटलों को इस अधिनियम के तहत निवेश आधारित कटौती का फायदा दिया जा रहा है।

- आवास और स्थावर संपदा क्षेत्र को एक बारगी अंतरिम राहत देने के लिए लम्बित परियोजनाएं चार वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष की अवधि में पूरी करने की अनुमति दी जा रही है। आवासीय परियोजनाओं में दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्मित क्षेत्र के मापदंडों में ढील दी जा रही है ताकि उनके निवासियों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

- कारोबार की सीमा जिससे अधिक होने पर खातों की लेखा-परीक्षा करवा लिया जाना अपेक्षित होता है, व्यापार के मामले में 60 लाख रुपये और व्यवसाय के मामले में 15 लाख रुपये तक बढ़ाई जा रही है।

- सभी छोटे व्यवसायों के लिए अनुमानित कराधान के प्रयोजन हेतु कारोबार की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए की जा रही है।

- यदि कर की कटौती किसी व्यय के रूप में की गई है और वह विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि से पहले अदा कर दिया गया है तो इस व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। विनिर्दिष्ट तिथि तक जमा न किए गए कर पर भारित ब्याज बढ़ाकर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया जा रहा है।

- छोटी कंपनियों को सीमित देनदारी भागीदारी (एलएलपी) में रूपांतरण आसान बनाने के लिए, इस रुपांतरण के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अंतरण पूंजीगत लाभ कर के अध्यधीन नहीं होगा।

- "आम जन सुविधा की किसी अन्य वस्तु की प्रस्तुति" "धर्मार्थ प्रयोजन" के रूप में तभी मानी जाएगी यदि इसमें व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार स्वरूप में कोई कार्यकलाप किया जाता है, बशर्ते ऐसे कार्यकलापों से हुई आय एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

- प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों से इस वर्ष 26,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

अप्रत्यक्ष कर

- केंद्रीय उत्पाद शुल्कों में कटौती दर आंशिक रूप से वापस ली जा रही है तथा सभी गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर मानक दर बढ़ाकर *यथामूल्य 8* प्रतिशत से 10 प्रतिशत की जा रही है।

- पोर्टलैंड सीमेंट तथा क्लिंकर सीमेंट पर प्रयोज्य शुल्क की विशिष्ट दरें भी आनुपातिक रूप से समायोजित की जा रही हैं और अधिक रखी जा रही हैं। इसी तरह, बड़ी कारों, बहु उपयोगी वाहनों तथा खेल में प्रयुक्त वाहनों (एसयूवी) पर उत्पाद शुल्क के यथामूल्य घटक में 2 प्रतिशतांक की बढ़ोतरी करके 22 प्रतिशत किया जा रहा है।

- कच्चे पेट्रोलियम पर 5 प्रतिशत; डीजल और पेट्रोल पर 7.5 प्रतिशत और अन्य परिशोधित उत्पादों पर 10 प्रतिशत का बुनियादी शुल्क पुनः बहाल करना। पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1 रुपया प्रति लीटर बढ़ाया गया।
- सिगरेटों, सिगारों और सिगारिलो पर उत्पाद शुल्क में कुछ ढांचागत परिवर्तन किया जाना है, साथ ही साथ कुछ दरों में वृद्धि की गई। सभी गैर स्मोकिंग तंबाकू जैसाकि सुगंधित तंबाकू, नसवार, चबाने वाले तंबाकू आदि पर उत्पाद शुल्क बढाया जाना। पाउच पैकिंग मशीनों की क्षमता पर आधारित चबाने वाला तंबाकू और ब्रांडेड अविनिर्मित तंबाकू के लिए मिश्रित उद्ग्रहण योजना शुरू किया जाना।

कृषि और संबंधित सेक्टर

- खाद्यान्नों और चीनी के लिए "मंडियों" या भाण्डागारों में यंत्रीकृत संचालन प्रणाली और प्लेट रैकिंग प्रणाली की स्थापना करने के लिए 5 प्रतिशत का रियायती आयात शुल्क के साथ परियोजना आयात का दर्जा प्रदान करना तथा ऐसे उपकरणों के संस्थापन एवं आरंभन के लिए सेवा कर से पूरी तरह से छूट देना।
- निम्नलिखित की आरंभिक स्थापना और आरंभन को सेवा कर से पूर्ण छूट देने के साथ 5 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क देकर परियोजना आयात का दर्जा प्रदान करना।
  - कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र के उत्पाद के लिए परिरक्षण या भंडारण के लिए फार्म पूर्व शीतलक सहित शीत भंडार, शीतलगृह; और
  - ऐसे उत्पाद के लिए प्रसंस्करण एकक।
- रेफरीजेरेटिड वैन या ट्रकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित रेफरीजेरैशन यूनिटों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना।
- भारत में निर्मित न किए गए निर्दिष्ट कृषि मशीनरी के लिए 5 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क प्रदान करना।
- कृषि और संबंधित क्षेत्र के परिरक्षण, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए निर्दिष्ट उपकरण को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देना और उनके उत्पादों के भंडारण और भांडागारण को सेवा कर में छूट देना; और

- कृषि में प्रयुक्त ट्रेलर और सेमी-ट्रेलरों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देना।
- बागान क्षेत्र में उपयोग के लिए निर्दिष्ट मशीनरी के लिए रियायती आयात शुल्क को सीवीडी के साथ-साथ 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाना।
- कृषि बीजों के परीक्षण एवं प्रमाणन को सेवा कर से छूट देना।
- मोटे अनाजों और दालों की सड़क द्वारा ढुलाई को सेवा कर से छूट दी जाएगी। रेल द्वारा ढुलाई में छूट कायम है।
- लघु विनिर्माताओं के लिए नकदी प्रवाह की स्थिति सरल बनाने के लिए उनकी प्राप्ति वर्ष में एक ही किस्त में पूंजी वस्तुओं पर चुकाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पूरा श्रेय लेने के लिए वे अनुमत होंगे। साथ ही उन्हें मासिक आधार के बजाए त्रैमासिक आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।

पर्यावरण

- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के लिए निधियां सृजित करने हेतु भारत में उत्पादित कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर 50 रुपए प्रति टन की मामूली दर पर उद्ग्रहीत होगा। यह उपकर आयातित कोयले पर भी लागू होगा।
- फोटोवोल्टेक और सौर तापीय विद्युत उत्पन्न करने वाली इकाइयों की आरंभिक स्थापना के लिए आवश्यक मशीनरी, उपकरणों, उपस्करों तथा यंत्रों आदि को 5 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क प्रदान करना तथा उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट भी देना। भू-ऊष्ण ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त किए जाने वाले भूमिगत स्रोत ऊष्ण पम्पों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देना।
- पवन ऊर्जा जनित्रों के लिए रोटर ब्लेडों के विनिर्माण हेतु आवश्यक कुछ विनिर्दिष्ट निविष्टियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देना।
- एलईडी लाईटों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाकर 8 प्रतिशत से कंपैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प के समतुल्य 4 प्रतिशत की गई है।
- इलेक्ट्रिक कारों तथा वाहनों के विनिर्माताओं द्वारा उनकी निविष्टियों तथा पुर्जों पर अदा किए गए शुल्क को निष्प्रभावित करने में झेली गई गठिनाइयों के समाधान के तौर पर ऐसे वाहनों पर 4 प्रतिशत का सांकेतिक शुल्क लगाया गया। ऐसे वाहनों के कुछ महत्वपूर्ण पुर्जों अथवा सह-पुर्जों को वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन बुनियादी सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई है। इन पुर्जों पर 4% की रियायती सीवीडी भी प्राप्त होगा।

- मनुष्य द्वारा चलाए जाने वाले रिक्शों के स्थान पर सीएसआईआर द्वारा विकसित उत्पाद ''सोलेक्शा'' पर 4% रियायती उत्पाद शुल्क लगाया गया है। इनके मुख्य पुर्जों तथा घटकों को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
- काम्पोस्टेबल पॉलीमर के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

अवसंरचना

- ''शहरी परिवहन हेतु मोनोरेल परियोजनाओं'' को 5 प्रतिशत के रियायती उत्पाद शुल्क पर परियोजना आयात का दर्जा देना।

- सड़क निर्माण परियजनाओं के लिए विनिर्दिष्ट की पुनःबिक्री की कम दाम पर आयात शुल्क के भुगतान पर अनुमति देना।
- मोबाइल फोनों के पुर्जों के घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी, सीवीडी तथा विशेष अतिरिक्त शुल्कों की छूट अब बैटरी चार्जरों के पुर्जों और हैंड्स फ्री हेडफोनों के लिए भी दी जा रही है। विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट की वैधता 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाई जा रही है।

चिकित्सा क्षेत्र

- सभी चिकित्सा उपस्करों पर निर्धारित विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूरी छूट से साथ-साथ 5 प्रतिशत की एकरूप, रियायती बुनियादी शुल्क, 4 प्रतिशत का सीवीडी प्रदान किया गया है। इस प्रकार के उपस्कर के विनिर्माण के लिए पुर्जों और सहायक पुर्जों पर 5 प्रतिशत रियायती बुनियादी शुल्क निर्धारित किया जा रहा है जबकि उन्हें सीवीडी और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जाएगी।

- चिकित्सा उपस्करों और सहायक मशीनों, पुनर्वास सहायता यंत्रों आदि जैसी मशीनों को इस समय उपलब्ध पूर्ण छूट जारी रखी जा रही है। सरकारी अस्पतालों अथवा किसी कानून के अधीन स्थापित अस्पतालों को उपलब्ध रियायती भी कायम रखी जा रही है।
- अस्थि विकलांगता संबंधी यंत्र के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त विशिष्ट निविष्टियों को आयात शुल्क से छूट दी गई है।

सूचना एवं मनोरंजन

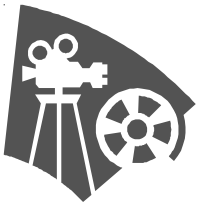

- द्विरावृत्ति हेतु फिल्मों के डिजीटल मास्टर के आयात करने अथवा चलचित्रकला फिल्म पर आयातित की तुलना में इलैक्ट्रानिक माध्यम पर भारित वितरण में विभेदक सीमा शुल्क संरचना के कारण फिल्म उद्योग के समक्ष आ रही कठिनाइयों का सामना करने हेतु वाहक माध्यम के मूल्य पर ही सीमा-शुल्क प्रभारित किया जाएगा। यही विधान द्विरावृत्ति के लिए आयातित संगीत और गेमिंग साफ्टवेयर पर लागू होगा। ऐसे सभी मामलों में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का अंतरण प्रस्तुत करने वाला मूल्य सेवा कर के अध्यधीन होगा।
- बहु-विषयी सेवा प्रदाताओं को "डिजीटल हैड एंड" उपस्कर की आरंभिक स्थापना हेतु विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के साथ 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क पर परियोजना आयात दर्जा प्रदान करना।

कीमती धातुएं

- कीमती धातुओं की इन दरों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।
  - सोने और प्लैटिनम पर 200 रुपये प्रति 10 ग्राम से 300 रुपये प्रति 10 ग्राम;
  - चांदी पर 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम।
- रोडियम-जवाहरात पर पालिश करने में प्रयुक्त होने वाली एक कीमती धातु पर बुनियादी सीमा-शुल्क घटाकर 2 प्रतिशत करना।

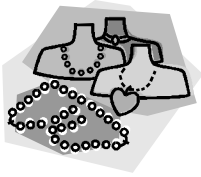

- स्वर्ण अयस्क और सांद्रों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट के साथ बुनियादी सीमा शुल्क *यथा मूल्य* 2 प्रतिशत से घटाकर स्वर्ण तत्व के प्रति 10 ग्राम 140 रुपये का विशिष्ट शुल्क लगाना। इसके अतिरिक्त ऐसे अयस्क अथवा सांद्र से बनाए गए परिशोधित स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 280 रुपये प्रति 10 ग्राम का विशिष्ट शुल्क लगाया जा रहा है।

अन्य प्रस्ताव

- अपेक्षित निर्दिष्ट निविष्टियों अथवा कच्ची सामग्रियों को आयात शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध प्राप्त उन खेलों के सामान के विनिर्माण हेतु कुछ और मदों को शामिल कर विस्तार करना।
- माइक्रोवेव ओवेन्स के निर्माण में मुख्य घटक नामशः मैग्नेट्रोन्स पर बुनियादी सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।
- व्यक्तिगत सामान के रूप में वाणिज्यिक सेम्पल्स के शुल्क-मुक्त आयात पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की मूल्य सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष करना।
- खुदरा बिक्री हेतु पहले से ही पैक आकार में आयातित वस्तुओं को विशेष अतिरिक्त शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करना। इसमें मोबाइल फोन, घड़ियां और सिलेसिलाए वस्त्र, चाहे वे पहले से पैक आकार में आयात न किए गए हों, भी शामिल होंगे। नए विधान द्वारा शामिल न किए गए मामलों के लिए भी वापसी-आधारित छूट बनाए रखी जा रही है।

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क से खिलौना गुब्बारों को पूर्णतया छूट प्रदान करना।
- पीपलामूल पर बुनियादी सीमा-शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना;
- हींग पर बुनियादी सीमा-शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना;
- आरओ प्रौद्योगिकी पर आधारित वाटर फिल्टरों को छोड़कर, घरेलू प्रकार के वाटर फिल्टरों हेतु प्रतिस्थापनीय किटों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करके 4 प्रतिशत करना;
- नाली दार डिब्बों और कार्टनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना;
- लेटेक्स रबड़ धागे पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करना; और
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के अधीन शामिल की गई वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना।
- सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी कर प्रस्तावों से इस वर्ष 43,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान।

सेवा कर

- वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवाओं पर कर की दर 10 प्रतिशत बनाए रखने रखना।
- अब तक कर से छूटी कुछ सेवाओं को सेवा कर उगाही के क्षेत्राधिकार में लाया जाएगा। ये अलग से अधिसूचित कीए जा रही हैं।

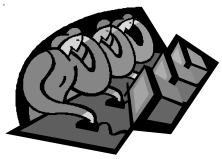

- सेवाओं के निर्यात की परिभाषा और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करने हुए, सेवाओं के निर्यातको को विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में संचित ऋण की वापसी की प्रक्रिया सरल बनाना।
- कतिपय मानदंड पूरा करने वाली प्रत्यायित समाचार एजेंसियां, जो ऑनलाइन समाचार देती हैं, को सेवा कर से छूट।
- सेवा कर से संबंधित प्रस्तावों से इस वर्ष 3,000 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ मिलने का अनुमान।
- प्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्तावों से इस वर्ष 26,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान। अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इस वर्ष 46,500 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होने का अनुमान। कर प्रस्तावों में दी जा रही रियायतों और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किए गए उपायों के मद्देनजर, इस वर्ष 20,500 करोड़ रुपए का निवल राजस्व लाभ होने का अनुमान।